

विविध बैंक प्रकरण संख्या 33/2022.(GCMS : 2022/33) पंजाब नेशनल बैंक
जरिये निशान्त खुराना, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, कार्यालय
SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर
(राज.) बनाम 1. प्रोमिला रानी पत्नी पवन कुमार अनेजा (ऋण खाता मैसर्स जे.
डी. अनेजा एडीब्लस प्राइवेट लिमिटेड में जमानती) 2. राहुल अनेजा पुत्र पवन
कुमार अनेजा 3. पवन कुमार अनेजा पुत्र जमना दास अनेजा 3. रुचिका
अनेजा पत्नी राहुल अनेजा निवासी 2-सी-4 सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर
11.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा
उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली
का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन
अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 11.02.2022 को प्रस्तुत किया
है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण प्रोमिला रानी, राहुल अनेजा, पवन कुमार
अनेजा एवं रुचिका अनेजा को ऋण सुविधा के रूप में 4.00/- करोड़ रुपये
(अखरे रुपये चार करोड़ मात्र) का ऋण दिनांक 23.05.2018 स्वीकृत किया
था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी प्रोमिला रानी अपनी रिहायशी सम्पत्ति
मकान नं. 2-सी-04 (2691 वर्गफुट), सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक
के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तों
के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण
उनका ऋण खाता दिनांक 30.12.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति
(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक
30.09.2020 को 3,28,70,084/-रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व
अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के
अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 12.11.2020 को उक्त बकाया राशि
जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस

जिला मजिस्ट्रेट
की अदालत

पर अप्रार्थीगण प्रोमिला रानी, राहुल अनेजा, पवन कुमार अनेजा एवं रुचिका अनेजा को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 13.11.2020 को भिजवाये गये है **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी प्रोमिला रानी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास अपनी रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 2-सी-04 (2691 वर्गफुट), सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण प्रोमिला रानी, राहुल अनेजा, पवन कुमार अनेजा एवं रुचिका अनेजा को 4.00/-करोड़ रुपये (अखरे रुपये चार करोड़ मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति 23.05.2018 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी प्रोमिला रानी द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 2-सी-04 (2691 वर्गफुट), सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **30.12.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 12.11.2020 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 13.11.2020 को भिजवाया गया, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी प्रोमिला रानी द्वारा अपनी रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 2-सी-04 (2691 वर्गफुट), सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा हुआ है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 12.11.2020 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 12.11.2020 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 13.11.2020 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी प्रोमिला रानी के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी प्रोमिला रानी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 2-सी-04 (2691 वर्गफुट), सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुकमणि रियार सिद्दाग)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

श्री गंगानगर